न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1161 सन 2020

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र माडुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र माडुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. हरिसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
6. सुगनी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
7. विकास पुत्र राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
9. सरोज पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
10. कुरडाराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
11. फुसाराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
12. नोरगलाल पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 की कुल 6.8310हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 23/53 की कुल 7.0840हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 47/45 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 361/323 की कुल 3.0360हैक भूमि मृतक रामप्रताप का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/43 की कुल 6.3250हैक में मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/4 हिस्सा दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जिराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों एव उनके पुत्रों के बाद उनके पुत्रो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसमे से एक पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 एवं रामप्रताप के पुत्र राजेन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है जो रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसीप्रकार रामप्रताप उर्फ प्रताप का देहान्त हो चुका है उसके नाम से दर्ज भूमि उसके वारिसान के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 की कुल 6.8310हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 23/53 की कुल 7.0840हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 47/45 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 361/323 की कुल 3.0360हैक भूमि मृतक रामप्रताप का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/43 की कुल 6.3250हैक में मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/4 हिस्सा दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जिराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों एव उनके पुत्रों के बाद उनके पुत्रो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसमे से एक पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 एवं रामप्रताप के पुत्र राजेन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है जो रामप्रताप के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 की कुल 6.8310हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 23/53 की कुल 7.0840हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर के खाता संख्या 47/45 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 361/323 की कुल 3.0360हैक भूमि मृतक रामप्रताप का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या

63/43 की कुल 6.3250हैक में मृतक रामप्रताप का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1/4 हिस्सा दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के मध्य हुआ बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि रामप्रताप का देहान्त हो चुका है उसके नाम दर्ज भूमि विरास्तन से उनके वारिसान के नाम दर्ज करवाना चाहते है जिसे भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की रामप्रताप के वारिसान के नाम भूमि दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 47/45 की कुल 1.5180हैक में प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 361/323 की कुल 3.0360हैक भूमि में वादी के मृतक पिता रामप्रताप उर्फ प्रताप , प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल अकेले के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मोजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 380/418(11) किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.2280हैक 6/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला ,7/0.2530 ,14/0.2530 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 16/1 की 0.2270हैक 16/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला व प0न0 381/418(12) किला न0 1/1 की 0.2280 ,1/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता 2/1 की 0.2280 ,2/2 की 0.0250हैक गै0मु रास्ता , 9 ता 12 व 19 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक तथा रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 23/53 के प0न0 के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक गै0मुरास्ता 16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी तथा रोही मौजा कच 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 381/418(12) के किला न0 3/1 की 0.2270 ,3/2 की 0.026हैक गै0मु0रास्ता , 8/0.253 , 13 , 18 प्रत्येक 0.2530 ,तथा रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250 हैक में मृतक रामप्रताप उर्फ प्रताप व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर 4/5 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब दर्ज किया जाता है तथा शेष 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब दर्ज की जाती है तथा रोही मोजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 380/418(11) किला न0 3 ,8 ,9 ,12 ,13 ,17 ता 19 प्रत्येक 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 देवीलाल पुत्र माडुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र माडुराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. हरिसिह पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
5. सन्तलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
6. सुगनी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
7. विकास पुत्र राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
9. सरोज पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
10. कुरडाराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
11. फुसाराम पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
12. नोरगलाल पुत्र मालाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1161 सन 2020 निर्णय दिनांक– 12/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 47/45 की कुल 1.5180हैक में प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 361/323 की कुल 3.0360हैक भूमि में वादी के मृतक पिता रामप्रताप उर्फ प्रताप , प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल अकेले के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 380/418(11) किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 6/1 की 0.2280हैक 6/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला ,7/0.2530 ,14/0.2530 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 16/1 की 0.2270हैक 16/2 की 0.0260हैक गै0मु0खाला व प0न0 381/418(12) किला न0 1/1 की 0.2280 ,1/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता 2/1 की 0.2280 ,2/2 की 0.0250हैक गै0मु रास्ता , 9 ता 12 व 19 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक तथा रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 23/53 के प0न0 के किला न0 15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250हैक गै0मुरास्ता 16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि यथावत रहेगी तथा रोही मौजा कच 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 381/418(12) के किला न0 3/1 की 0.2270 ,3/2 की 0.026हैक गै0मु0रास्ता , 8/0.253 , 13 , 18 प्रत्येक 0.2530 ,तथा रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 63/64 की कुल 6.3250 हैक में मृतक रामप्रताप उर्फ प्रताप व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर 4/5 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब दर्ज किया जाता है तथा शेष 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब दर्ज की जाती है तथा रोही मोजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 119/106 के प0न0 380/418(11) किला न0 3 ,8 ,9 ,12 ,13 ,17 ता 19 प्रत्येक 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बहिब दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)